संख्या-08/2025/3827/22-2-2023-17(1435)/2023

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 06 जनवरी, 2025

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी वीरेश उर्फ मुनेन्द्रपाल पुत्र श्री दुर्विजय सिंह, निवासी जनपद-पीलीभीत की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक(मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-30070/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-05.09.2023) दिनांक-04.10.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी वीरेश उर्फ मुनेन्द्रपाल पुत्र श्री दुर्विजय सिंह, ग्रा0श्यामपुर, थाना-बीसलपुर, जनपद-पीलीभीत का निवासी है। ढ़ाई लाख रूपये की फिरौती के उद्देश्य से दिनांक 23.06.2007 को बन्दी ने अपनी पुत्री कु0 सोनी, आयु-06 वर्ष का अपहरण करने का अपराध कारित किया, उक्त अपराध हेतु बन्दी को एसटीनं0-410/2008 में भा0द0वि0 की धारा-364ए के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं०-01, पीलीभीत के आदेश दिनांक 30.03.2012 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, बंदी द्वारा दिनांक 15.08.2023 तक 15 वर्ष, 02 माह, 03 दिन की अपरिहार तथा 18 वर्ष, 07 माह, 18 दिन की सजा भोगी गयी है।

3- जिला मजिस्ट्रेट पीलीभीत की अध्यक्षता में सम्पन्न जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 20.06.2023 में जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप प्रभावित करने, बन्दी द्वारा भविष्य में कभी भी पुनः अपराध कारित किये जाने, बन्दी द्वारा पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, बंदी द्वारा हत्या जैसा जघन्य अपराध कारित किया गया है। दोनों पक्षों में विवाद अभी विद्यमान होने, बंदी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा बंदी के समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने के आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि ढाई लाख रूपये की फिरौती के उद्देश्य से दिनांक 23.06.2007 को बन्दी ने अपनी पुत्री कु0 सोनी, आयु-06 वर्ष का अपहरण करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा कारित अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी वीरेश उर्फ मुनेन्द्रपाल पुत्र श्री दुर्विजय सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की जाती है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी वीरेश उर्फ मुनेन्द्रपाल (बन्दी संख्या-49275) पुत्र श्री दुर्विजय सिंह, निवासी जनपद-पीलीभीत के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-08/2025/3827(1)/22-2-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को विशेष अनुज्ञा याचिका (कि0) डायरी संख्या-28783/2023 सुरेन्द्र उर्फ सुण्डा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय में पारित आदेश दिनांक 13.11.2024 के सन्दर्भ में।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-08/2025/3827/22-2-2023-17(1435)/2023

दिनांक 06 जनवरी, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी वीरेश उर्फ मुनेन्द्रपाल पुत्र श्री दुर्विजय सिंह, ग्रा0श्यामपुर, थाना-बीसलपुर, जनपद-पीलीभीत का निवासी है। ढ़ाई लाख रूपये की फिरौती के उद्देश्य से दिनांक 23.06.2007 को बन्दी ने अपनी पुत्री कु0 सोनी, आयु-06 वर्ष का अपहरण करने का अपराध कारित किया, उक्त अपराध हेतु बंदी को एसटीनं0-410/2008 में भा0द0वि0 की धारा-364ए के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-01, पीलीभीत के आदेश दिनांक 30.03.2012 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, बंदी द्वारा दिनांक 15.08.2023 तक 15 वर्ष, 02 माह, 03 दिन की अपरिहार तथा 18 वर्ष,07 माह, 18 दिन की सजा भोगी गयी है।

जिला मजिस्ट्रेट पीलीभीत की अध्यक्षता में सम्पन्न जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 20.06.2023 में जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप प्रभावित करने, बन्दी द्वारा भविष्य में कभी भी पुनः अपराध कारित किये जाने, बन्दी द्वारा पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, बंदी द्वारा हत्या जैसा जघन्य अपराध कारित किया गया है। दोनों पक्षों में विवाद अमी विद्यमान होने, बंदी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा बंदी के समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने के आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि ढाई लाख रूपये की फिरौती के उद्देश्य से दिनांक 23.06.2007 को बन्दी ने अपनी पुत्री कु0 सोनी, आयु-06 वर्ष का अपहरण करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा कारित अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी वीरेश उर्फ मुनेन्द्रपाल पुत्र श्री दुर्विजय सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की जाती है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।